संख्या-12/2016/262/53-2-16-2(18)/2014

प्रेषक,

कृष्ण कुमार गुप्त,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास उ0प्र0,
लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक 04 जुलाई, 2016

विषय-वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजनेत्तर पक्ष में कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु पी0सी0डी0एफ0 को ऋण की वित्तीय स्वीकृति (संशोधन)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-114/53-2-16-2(18)/2014, दिनांक-03.06.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के लेखाशीर्षक 6404-डेरी विकास के लिए कर्ज-आयोजनेत्तर-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-05-कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु पी0सी0डी0एफ0 को ऋण-30-निवेश/ऋण में प्राविधानित धनराशि रू0 60.00 करोड़ के सापेक्ष पी0सी0डी0एफ0 के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु रू0 60.00 करोड़ (रूपये साठ करोड़ मात्र) का ऋण पी0सी0डी0एफ0 को स्वीकृत किये जाने की उपर्युक्त शासनादेश दिनांक-03.06.2016 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिधबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक-03.06.2016 के प्रस्तर-1 के क्रम संख्या-(1) से (9) मे उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत ऋण की धनराशि रू0 60.00 करोड़ के ब्याज सहित प्रतिदान की शर्तो मे इस सीमा तक संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि वर्ष 2016-17 व 2017-18 को मारेटोरियम अवधि के साथ ब्याज सहित मूलधन की अदायगी वर्ष 2018-19 से पी0सी0डी0एफ0 द्वारा समान किस्तों में की जायेगी।

3- तदनुसार शासनादेश संख्या-114/53-2-16-2(18)/2014, दिनांक-03.06.2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उपर्युक्त संशोधन के साथ-साथ शासनादेश दिनांक-03.06.2016 में उल्लिखित अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2-608/दस-2016, दिनांक-04 जुलाई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कृष्ण कुमार गुप्त)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-262(1)/53-2-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर, (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29 पार्करोड, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-3/ नियोजन अनुभाग-3
8. मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0।
9. आहरण एवं वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कृष्ण कुमार गुप्त)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।